भारत सरकार

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

उर्वरक विभाग

राज्‍य सभा

तारांकित प्रश्‍न संख्‍या 33\*

जिसका उत्‍तर शुक्रवार, 6 दिसम्‍बर, 2013/15 अग्रहायण, 1935 (शक) को दिया जाना है।

**उर्वरकों की उपलब्‍धता एवं वहनीयता**

\*33. श्री डी.पी.त्रिपाठी:

क्‍या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्‍या महाराष्‍ट्र के कृषक उर्वरकों की बढ़ी हुई कीमतों तथा बुवाई के समय उर्वरक उपलब्‍ध न होने के कारण परेशानी में है और शिकायतें कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि होने तथा उनके उपलब्‍ध न होने के क्‍या कारण हैं; और

(ग) उर्वरकों की कीमतों पर नियंत्रण रखने तथा उन्‍हें कृषकों को उपलब्‍ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्‍या–क्‍या प्रयास किए जा रहे हैं?

**उत्‍तर**

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्‍वयन मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) (श्री श्रीकांत कुमार जेना)**

**(क) से (ग):** एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

-2-

**‘उर्वरकों की उपलब्‍धता एवं वहनीयता' के संबंध में दिनांक 06.12.2013 को उत्‍तर दिए जाने वाले राज्‍य सभा तारांकित प्रश्‍न सं.33\* के भाग (क) से (ग) के उत्‍तर में उल्लिखित विवरण।**

**\*\*\*\*\***

**(क) से (ग):** किसानों को यूरिया सरकार द्वारा नियत 5360 रुपए प्रतिटन के सांविधिक मूल्‍य पर उपलब्‍ध कराया जा रहा है। फास्‍फेटयुक्‍त तथा पोटाशयुक्‍त (पीएंडके) उर्वरकों के संबंध में सरकार 1.4.2010 से पोषक-तत्‍व आधारित (एनबीएस) नीति कार्यान्वित कर रही है, जिसके अंतर्गत राजसहायता प्राप्‍त पीएंडके उर्वरक के प्रत्‍येक ग्रेड व उनमें निहित पोषक-तत्‍व के आधार पर राजसहायता की एक नियत राशि दी जाती है जिस पर निर्णय वार्षिक आधार पर लिया जाता है। इस नीति के अंतर्गत उर्वरक कंपनियों को पीएंडके उर्वरकों की अधिकतम खुदरा मूल्‍य (एमआरपी) युक्तिसंगत स्‍तर पर नियत करने की अनुमति दी गई है।

देश तैयार उर्वरकों अथवा कच्‍ची सामग्री के लिए पोटाशयुक्‍त क्षेत्र में संपूर्ण रूप से और फास्‍फेटयुक्‍त क्षेत्र में 90% की सीमा तक आयात पर निर्भर है। राजसहायता नियत होने के कारण अंतर्राष्‍ट्रीय मूल्‍यों में होने वाले किसी उतार-चढ़ाव का प्रभाव पीएण्‍डके उर्वरकों के घरेलू मूल्‍यों पर पड़ता है।

पिछले 3 वर्षों के दौरान पीएंडके उर्वरकों के मूल्‍यों में वृद्धि मुख्‍यत: उर्वरकों के अंतर्राष्‍ट्रीय मूल्‍यों में वृद्धि होने तथा अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपए के अवमूल्‍यन के कारण भी हुई है। हालांकि वर्ष 2013-14 के दौरान, पीएण्‍डके उर्वरकों के अंतर्राष्‍ट्रीय मूल्‍य कम हुए हैं और उर्वरक कंपनियों को इन उर्वरकों के मूल्‍य घटाने के लिए कहा गया है। वर्ष 2013-14 के लिए राजसहायता दरों की घोषणा करते समय सरकार ने इन उर्वरकों के मूल्‍य में न्‍यूनतम कटोती भी अधिसूचित की है। उर्वरक कंपनियों ने पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2013-14 में पीएण्‍डके उर्वरकों की कम एमआरपी के बारे में सूचित किया है।

प्रत्‍येक राज्‍य की मांग एवं उर्वरकों की उपलब्‍धता के आधार पर महाराष्‍ट्र समेत प्रत्‍येक राज्‍य को उर्वरक उपलब्‍ध कराए जाते हैं। उपलब्‍धता को देखते हुए महाराष्‍ट्र समेत सारे देश में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है।

\*\*\*\*\*